19/5/22
पत्रावली मूल वादी के साथ कामलिम से तलब
पत्रावली मूल वादी के आदेशिका पर हस्ताक्षर
होकर पेश हुई। प्रार्थी के आदेशिका पर हस्ताक्षर
कराये गये। वाद वादी नोटप्रेस में खारिज किया
जा चुका है। प्रार्थना पत्र 7/2 आर. टी. स्वतः
सारहीन होने के कारण, प्रार्थना पत्र का अब
कोई औचित्य नहीं रह जाता है।
अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।
पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम
होकर, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
अलवर

NOT PRESS

21H दिनांक
धारा 22/3
19/5/2